

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

दिनांक 20/01/2023

क्रमांक: एफ/प्रशा/प्रवेश/2023/6395

प्रति,

विभागाध्यक्ष/समन्वयक/निदेशक
समस्त अध्ययनशालाएं, एवं स्वावित्तीय पाठ्यक्रम
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषय :- समन्वय समिति की 100 बी बैठक में परिनियम-43 के संशोधन के संबंध में वित्त विभाग द्वारा चाही गई जानकारी बावत्।

संदर्भ :- क्रमांक 52/81/सी.सी./22/38, भोपाल दिनांक 19.01.2023 के संदर्भ में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी चाही गई है कृपया संलग्न प्रोफार्मा में जानकारी भर कर हार्ड कॉपी प्रशासन विभाग में दिनांक 24.01.2023 तक एवं ईमेल Juadmsection@gmail.com पर अपलोड कर प्रेषित करें।

ताकि निर्धारित समय सीमा में शासन को जानकारी भेजी जा सकें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावें।

आदेशानुसार


कुलसचिव


प्रति,

संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संलग्न :- प्रोफार्मानुसार

प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. कुलपति जी के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. सहायक कुलसचिव, (प्रशासन), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. श्री संजय बरथरिया की ओर प्रेषित इस पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी मंगाये जाने हेतु प्रेषित।
5. अकादमी विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. लेखा विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


सहायक कुलसचिव (प्रशा0)

विश्वविद्यालय का नाम

प्रपत्र - 1 (स्ववित्तीय पाठ्यक्रम की जानकारी)

स.क्र.	विभाग	कोर्स का नाम	कोर्स का आरंभ वर्ष	पूर्व में प्रवेशित छात्रों की संख्या	स्ववित्तीय मद से नियुक्त शिक्षकों की संख्या	वर्तमान में प्रवेशित छात्र संख्या	वर्तमान में कार्यरत शिक्षक (स्ववित्तीय मद से)	पिछले तीन वर्षों में कोर्स से प्राप्त औसत आय (लाख में)

विश्वविद्यालय का नाम

प्रपत्र - 2 (स्ववित्तीय मद में नियुक्त शिक्षकों का विवरण)

स.क्र.	विभाग	कोर्स का नाम	स्ववित्तीय मद में नियुक्त शिक्षकों की संख्या (वर्तमान में)		5 वर्ष से कम अवधि में नियुक्त शिक्षक	
			10 वर्ष से अधिक अवधि से नियुक्त शिक्षक संख्या	प्रकार संविदा/रिगुलर	5-10 वर्ष की अवधि में नियुक्त शिक्षक संख्या	प्रकार संविदा/रिगुलर

विश्वविद्यालय का नाम

प्रपत्र - 3 (बन्द कोर्स का विवरण)

स.क्र.	कोर्स का नाम	प्रारंभ होने का वर्ष	बन्द होने का वर्ष	स्ववित्तीय मद से पदस्थ शिक्षकों की संख्या	कोर्स बन्द होने के बाद सेवा सम्मान स्थिरता की संख्या	रिमाई

नोट - कानूनकट की अवधि 05 वर्ष न्यून रखी गई है जबकि कोर्सेस 01 वर्ष, 02 वर्ष अथवा 03 वर्ष के लिये भी हो सकते हैं (यदि हो तो)